

संख्या- 120 /1-11-2016-26(जी)/2015

प्रेषक,

अनिल कुमार,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, बांदा, चित्रकूट, देवरिया, फतेहपुर, गोरखपुर,
हमीरपुर, जालौन, झांसी, कानपुर नगर, कुशीनगर, ललितपुर, महाराजगंज, महोबा, मऊ,
मीरजापुर, संत कबीरनगर, सोनभद्र एवं उन्नाव ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 09 मार्च, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूखे से कृषि फसलों को हुई क्षति के लिये भारत सरकार के मानक के अनुसार कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूखे से कृषि फसलों को हुई क्षति के लिये प्रथमतः लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रु० 53,16,00,000/- (रुपये तिरपन करोड़ सोलह लाख मात्र) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	इलाहाबाद	100.00
2	अम्बेडकर नगर	250.00
3	बलरामपुर	100.00
4	बांदा	382.88
5	चित्रकूट	250.00
6	देवरिया	500.00

7	फतेहपुर	200.00
8	गोरखपुर	500.00
9	हमीरपुर	100.00
10	जालौन	48.97
11	झांसी	250.00
12	कानपुर नगर	10.86
13	कुशीनगर	250.00
14	ललितपुर	350.00
15	महराजगंज	40.42
16	महोबा	332.88
17	मऊ	300.00
18	मीरजापुर	250.00
19	संत कबीरनगर	300.00
20	सोनभद्र	300.00
21	उन्नाव	500.00
	कुल योग रु०	5316.00
	(रुपये तिरपन करोड़ सोलह लाख मात्र)	

2- दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे किसान/लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

- 3- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत- आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-05-नेशनल डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय' के नामे डाला जायेगा।
- 4- इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।
- 5- राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र संख्या-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दर निर्धारित है तथा जो दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी की गयी है, का अवश्य अनुपालन किया जायेगा।
- 6- उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन में निर्धारित एवं अर्ह मानक मर्दों के अनुसार ही किया जायेगा। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- 7- वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।
- 8- निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करते हुये व्यय का लेखा-जोखा रखना तथा पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।
- 9- आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20.06.2015 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी://राहत.यू0पी0.एनआईसी0.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय।
- 10- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2016 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
- 11- उक्त धनराशि का उपयोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

12- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तान्कन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भयदीय,

(अनिल कुमार)

सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या:- 120(1)/1-11-2016, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त को शासन के उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ ।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व तथा सचिव राजस्व 30प्र0 शासन ।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, 30प्र0।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
- 7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
- 9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-22/03/2016

प्रेषण संख्या:- 63
 आवंटन आदेश संख्या:- 063-1-10-2015
 अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)
 लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
 05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
 800 - अन्य व्यय
 05 - नेशनल डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1086000 51086000	1086000 51086000
2	फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 290000000	20000000 290000000
3	इलाहाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 200000000	10000000 200000000
4	झाँसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	25000000 495000000	25000000 495000000
5	जालौन-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	4897000 454897000	4897000 454897000
6	हमीरपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 480000000	10000000 480000000
7	बांदा -4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	38288000 528288000	38288000 528288000
8	मिर्जापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	25000000 75000000	25000000 75000000
9	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 100000000	50000000 100000000
10	देवरिया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 115000000	50000000 115000000

(हस्ताक्षर)
 वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
 राहत आयुक्त संगठन
 उ०प्र० शासन

11	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 50000000	50000000 50000000
12	ललितपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	35000000 645000000	35000000 645000000
13	मऊ-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	30000000 30000000	30000000 30000000
14	सोनभद्र-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	30000000 30000000	30000000 30000000
15	महाराजगंज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	4042000 4042000	4042000 4042000
16	महोबा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	33288000 473288000	33288000 473288000
17	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	25000000 90000000	25000000 90000000
18	अम्बेदकर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	25000000 55000000	25000000 55000000
19	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 10000000	10000000 10000000
20	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	30000000 70000000	30000000 70000000
21	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	25000000 395000000	25000000 395000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	531601000 4641601000	531601000 4641601000

महायोग- (वर्तमान
आवंटन):-

रुपया तिरेपन करोड़ सोलह लाख एक हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रुपया चार अरब चौसठ करोड़ सोलह लाख एक हजार

(शिवराम)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त, राउत